28

C.S.S. 7.58

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक १६४ निगरानी

RN/10-1/R/834/94

क्रमांक .... श्री रामसुदेव अवस्थी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 17.8.94 को प्रस्तुत
17.8.94
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

हरवंशप्रसाद पुत्र मान्धाताराम, निवासी ग्राम वेलवा बड़गैयान, तहसील सिरमौर जिला रीवा, मध्यप्रदेश -- प्रार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग, दिनांक २-६-९४ धारा ५० लै०रे० कोड,म०प्र०। प्रकरण क्रमांक ६२।८६-९० निगरानी ।

श्रीमान,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों ने कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक २४-४-७८ को सही नहीं समझा ।

(४) यहकि जब विवादित भूमि धारक की मान्य की गई है तथा प्रारूप विवरण पर किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की तब समस्त भूमि धारक की कब्जे की मानी जावेगी और धारक के किसी भी भूमि को अधिशेष घोषित कराने का पूरा अधिकार है ।

---- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 834/1994 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 62/1989–90/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.06.94 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक ने जिन भूमियों को छोड़ने की इच्छा प्रकरट की थी उन्हें अनुविभागीय अधिकारी ने नहीं मानते हुये आवेदक को कब्जा दखल की भूमि में से अतिशेष भूमि घोषित की है । तर्क है कि जो भी भूमि आवेदक की मानी गई है उसमें से कोई भी भूमि छोड़ने का उसे अधिकार था जो नहीं माना गया है । वस्तुतः प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का विवादित आदेश कलेक्टर रीवा के 24.04.78 के अपील में पारित आदेश का पालन मात्र है । दिनांक 24.04.78 को अपील में कलेक्टर ने	

यह आदेश दिया था कि आवेदक की कब्जे वाली भूमि में से उसकी इच्छानुसार भूमि अतिशेष में ली जाये । इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील/निगरानी पेश नहीं की गई । अतः आवेदक को अब यह प्रश्न उठाने का अधिकार खत्म हो चुका है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में पारित आदेश उचित था। फलस्वरूप कलेक्टर का आदेश भी हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र कलेक्टर के आदेश का पालन किया है इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश भी उचित है एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.06.94 में इन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.94 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य